केन्द्रीय विद्यालय संगठन / KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
(Min. of HRD, Deptt. of Education, Govt. of India)
18-संस्थागत क्षेत्र / 18-Institutional Area
शहीद जीत सिंह मार्ग / Shaheed Jeet Singh Marg
नई दिल्ली – 110016 / New Delhi – 110016
Tel: 011-26856498, Fax NO. 011-26514179
www.kvsangathan.nic.in

F. No. 11-EDP0OLA/1/2018-Academic

Dated 07.08.2020

उपायुक्त
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
सभी क्षेत्रीय कार्यालय

विषयः प्रवेश प्रक्रिया सत्र 2020–21 के संबंध में।

आप सभी को सूचित किया जाता है कि पूर्व आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा 'अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति' को दिनांक 29.06.2020 को सम्पन्न बैठक के दौरान दिए गए आश्वासन के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिया गया है कि ''पिछले तीन वर्षों में जारी अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) प्रमाणपत्र अर्थात् 1 जनवरी 2017 के बाद जारी प्रमाणपत्र को प्रवेश प्रक्रिया में 27% आरक्षण के लिए उपयुक्त माना जाएगा। COVID-19 परिस्थितियों में सुधार (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर) के उपरान्त अगले छह महीने में अभिभावक द्वारा संबंधित विद्यालय, जहां विद्यार्थी को अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) के आरक्षण का लाभ दिया गया है, के प्राचार्य को विद्यार्थी के नाम से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र जमा कराना होगा।''

आप सभी से अनुरोध है कि अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी प्राचार्यों को इस बाबत अतिशीघ्र सूचित करें ताकि दिनांक 07.08.2020 को समाप्त हो रही पंजीकरण प्रक्रिया के पश्चात पंजीकरण प्रपत्र एवं जमा किए गए दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया के दौरान नवीन प्रमाणपत्र (पिछले छह माह में जारी किया गया) न पाये जाने पर प्रपत्र को निरस्त न कर दिया जाए।

यह पत्र सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी किया गया है।

भवदीय
इन्दु कौशिक
07/08/2020
(इंदु कौशिक)
उपायुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपिः

1. निजी सचिव, आयुक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन को सूचनार्थ।
2. निजी सहायक, संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन।
3. अनुभाग अधिकारी (शैक्षिक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु0)।